न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :— 446/2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1 रामलाल पुत्र बगताराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर		1 तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर 2. भगवानाराम पुत्र उम्मेदाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :—

श्री जोगराज पोटलिया, वकील प्रार्थी।

आदेश

दिनांक 05.05.2025

संक्षिप्त में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के खातेंदारी का खेत खसरा संख्या 922/511, 940/911, 909/494 रकबा क्रमशः 8.6441, 0.2913, 2.0963 हैक्टेयर का ग्राम बेरीवालागांव, पटवार मंडल—कुड़ला, तहसील—बाड़मेर ग्रामीण में आया हुआ है। जिसकों पक्षकारान के द्वारा जरिये सहमति तहसील से दिनांक—05—03—2021 को विभाजन करवाते हुए राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दी गयी थी। उक्त की हुई तरमीम की प्रति नामान्तकरण के पुश्त पर अंकित है मौके पर कब्जा के अनुसार लठा ट्रैस में तरमीम की गयी जो सही थी वर्तमान में तहसील बाड़मेर ग्रामीण का राजस्व रेकर्ड का डिजीटल आनलाईन करते समय के बाद उक्त खसरे की स्थिति में भारी बदलाव कर मौके के स्थिति व लठा ट्रैस में की हुई तरमीम के विपरीत नक्शे में तरमीम को कर दिया गया और जहा पर प्रार्थी का खेत व कब्जा है उस स्थान के नक्शे में बदलाव कर दिया गया और जहा पर सरकारी रास्ता के लिये भूमि का समर्पण किया गया था उस भूमि को वापस खातेदारी में कर दिया गया है। इस प्रकार मौके पर कब्जा काश्त एवं लठाट्रैस में तरमीम से भिन्न तरमीम ऑनलाईन की गई हैं। जिसे मौके पर कब्जा काश्त और पूर्व में किये गये विभाजन प्रस्ताव के अनुसार सही किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर मौजा बेरीवाला गांव पटवार हल्का कुड़ला तहसील बाड़मेर ग्रामीण के खेत खसरा नम्बर 922/511, 940/911, 909/494 रकबा क्रमशः 8.6441, 0.2913, 2.0963 हैक्टेयर भूमि की राजस्व रेकर्ड के ऑनलाईन करते की गई तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त एवं लठ्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार सही करते हुए रास्ता के रूप में की गई समर्पण भूमि का रकबा व खसरा संख्या 913/494, 928/511 का रकबा व नक्शा सही करने का आदेश फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:26:43 IST
Reason: SelfAttested

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थीगण बावजूद तामिल के अनुपस्थित रहने पर एकतरफा। प्रकरण में तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से मौका रिपोर्ट तलब की गई।

प्रकरण में तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा मौका रिपोर्ट अपने पत्रांक राजस्व/2025/355 दिनांक 28.02.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि मौजा बेरीवालागांव के मूल खसरा नंबर 669/494 व 511 का आपसी सहमति से बंटवारा

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

करने के उपरांत नामान्तरकरण संख्या 446/30.03.2021 का ऑफलाईन रेकर्ड में अमलदरामद सही सही अंकित हुआ था, लेकिन भू–नक्शा में रेकर्ड को ऑनलाईन करने की प्रक्रिया के दौरान सहवन से भू–नक्शा में खसरा नंबर 913/494, 940/911, 928/511, 922/511, 921/511, 924/511, 925/511, 926/511, 927/511 की तरमीम गलत अंकित हो गई जो कि संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'अ' के मुताबिक है। उक्त वर्णित भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में करवाये गये विभाजन एवं समर्पण आदेश, लट्ठा ट्रेस नक्शे में अंकित तरमीम, नामान्तरकरण पुश्त भाग पर अंकित तरमीम अक्ष तथा मौके की कब्जा काश्त के आधार पर मौजा बेरीवालागांव के खसरा नंबर 940/511, 913/494, 921/511, 922/511, 924/511, 925/511,926/511, 927/511 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रस्तावित नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करने पर किसी भी खसरे का क्षेत्रफल प्रभावित नहीं होगा। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा तरमीम परिशिष्ट ''ब'' अनुसार शुद्ध किया जाना उचित बताया है।

उक्त मौका रिपोर्ट पर उभय पक्षों को सुना गया। उभय पक्षों द्वारा तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की मौका रिपोर्ट के अनुसार मौजा बेरीवालागांव के खसरा नंबर 940/511, 913/494, 921/511, 922/511, 924/511, 925/511,926/511, 927/511 की तरमीम की ऑनलाईन अशुद्ध तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ट ''ब'' अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की गई है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज यथा जमाबन्दी संवत् 2073–2076, नक्शों एवं संलग्न परिशिष्टों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की रिपोर्ट के अनुसार भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में करवाये गये विभाजन एवं समर्पण आदेश, लट्ठा ट्रेस नक्शे में अंकित तरमीम, नामान्तरकरण पुश्त भाग पर अंकित तरमीम अक्ष तथा मौके की कब्जा काश्त के आधार पर मौजा बेरीवालागांव के खसरा नंबर 940/511, 913/494, 921/511, 922/511, 924/511, 925/511,926/511, 927/511 की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ट ''ब'' तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंषा की है। लिहाजा मौजा बेरीवालागांव, पटवार हल्का कुड़ला के खसरा नंबर 940/511, 913/494, 921/511, 922/511, 924/511, 925/511,926/511, 927/511 की वर्तमान भू–नक्शा की तरमीम को निरस्त करते हुए भूमि के सम्बन्ध में पूर्व में करवाये गये विभाजन एवं समर्पण आदेश, लट्ठा ट्रेस नक्शे में अंकित तरमीम, नामान्तरकरण पुश्त भाग पर अंकित तरमीम अक्ष तथा मौके की कब्जा काश्त के आधार तथा तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर मौजा बेरीवालागांव, ,पटवार हल्का कुड़ला के खसरा नंबर 940/511, 913/494, 921/511, 922/511, 924/511, 925/511,926/511, 927/511 भूमि की वर्तमान तरमीम जो कि प्रपत्र 'अ' के अनुसार है को निरस्त की जाकर तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ ''ब'' अनुसार राजस्व नक्शा एवं भू–नक्शा में तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाता है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ठ ''ब'' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली नियमानुसार शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.06.04 16:26:43 IST
Reason: SelfAttested

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 05.05.2025 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर